## न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी
## श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

**पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}**

**प्रकरण संख्या : 33/2023**

| वादी | बनाम | प्रतिवादी |
|---|---|---|
| 1. निर्मल कौर पत्नी महताब सिंह जाति जटसिख निवासी 28 एच तहसील श्रीकरणपुर।<br>2. नरेन्द्र कौर पत्नी बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 28 एच तहसील श्रीकरणपुर | | 1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर |

**तारीख रजू:- 24.02.2023**

**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955**

**--निर्णय--** **दिनांक : 24.02.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि जनसुनवाई परिवेदना पंजीबद्व संख्या 1490 दिनांक 27.12.2022 में वादीगण के द्वारा निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 3 वीं, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि. धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 39/39 के मुरब्बा नम्बर 20 की कुल 1.581 हेक्टैयर भूमि वादी संख्या 1 निर्मल कौर के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा राजस्व ग्राम 3 वीं, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 37/37 के मुरब्बा नम्बर 20, 61/4 की कुल 4.742 हेक्टैयर भूमि वादी संख्या 2 नरेन्द्र कौर के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अतः चक 3 वीं के मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 1 ता 25 में किसी भी प्रकार का बाग नहीं लगाया है और ना ही बाग का कोई पानी है। सामान्य नहरी पानी है। अतः उक्त भूमि की बाग किस्म को नहरी किये जाने के आदेश दिए जावे।

उक्त प्रकरण के संबध में रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 441 दिनांक 13.02.2023 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 88 में दर्ज रजिस्टर किया गया। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त चक 3 वीं के मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 1 ता 25 की किस्म बाग दर्ज है। जो की मिसल बंदोबस्त से आज तक की जमाबन्दी में बाग किस्म दर्ज है। जबकि चक 3 वीं के मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 1 ता 25 में मौके पर बाग नहीं है। मुताबिक गिरदावरी पिछले कई वर्षो से उक्त मुरब्बा में रबी व खरीफ की फसल काश्त की जा रही है। मौके पर बाग नहीं है। अधिशाषी अभियंता जल संसाधन उत्तरखण्ड श्रीगंगानगर की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण से संबधित खण्ड कार्यालय में स्वीकृत उद्यान से सम्बन्धित संधारित अभिलेख एंव समूचित जांच/तथ्यों के परीक्षणोपरान्त अधीनस्थ सहायक अभिंयता(तृतीय) जल संसाधन खण्ड रायसिंहनगर मुख्यालय श्रीगंगानगर द्वारा उपखण्ड पंत्राक राजस्व/2022/3 वी/ 933 दिनांक 20.12.2022 के माध्यम से प्रस्तुत वस्तु स्थिति रिपोर्ट के आधार पर चक 3 वीं तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 20 नहरी/राजस्व (पत्र[illegible] न. 15[illegible]) [illegible] कोई उद्यान विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं है। अतः प्रतिवदेन प्रस्तुत कर निवेदन है कि [illegible]क 3 [illegible] तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 20 नहरी/राजस्व खाता संख्या 39 की 1.581 हेक्टै[illegible] एवं खाता संख्या 37 की 4.616 हेक्टैयर बाग को विलोपित किया [illegible] नहरी कृषि भूमि दर्ज किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.03.14 12:00:18 IST
Reason: SelfAttested

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादीगण, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, रिपोर्ट अधिशाषी अभिंयता, जल संसाधन उत्तर खण्ड, श्रीगंगानगर का अध्ययन किया। वादीगण की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया।

अधिकारी (राजस्व)

पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 3 वीं, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि. धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 39/39 की प्रति, राजस्व ग्राम 3 वीं, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 37/37 की प्रति, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, रिपोर्ट अधिशाषी अभिंयता, जल संसाधन उत्तर खण्ड, श्रीगंगानगर के अवलोकन से स्पष्ट है। वादीगण द्वारा चक 3 वीं के मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 1 ता 25 की बाग किस्म को नहरी किए जाने बाबत निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार चक 3 वीं के मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 1 ता 25 की किस्म बाग दर्ज है। जो की मिसल बंदोबस्त से आज तक की जमाबन्दी में बाग किस्म दर्ज है। जबकि चक 3 वीं के मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 1 ता 25 में मौके पर बाग नहीं है। मुताबिक गिरदावरी पिछले कई वर्षो से उक्त मुरब्बा में रबी व खरीफ की फसल काश्त की जा रही है। मौके पर बाग नहीं है। अधिशाषी अभियंता जल संसाधन उत्तरखण्ड श्रीगंगानगर की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण से संबधित खण्ड कार्यालय में स्वीकृत उद्यान से सम्बन्धित संधारित अभिलेख एंव समूचित जांच/तथ्यों के परीक्षणोपरान्त अधीनस्थ सहायक अभिंयता(तृतीय) जल संसाधन खण्ड रायसिंहनगर मुख्यालय श्रीगंगानगर द्वारा उपखण्ड पंत्राक राजस्व/2022/3 वी/ 933 दिनांक 20.12.2022 के माध्यम से प्रस्तुत वस्तु स्थिति रिपोर्ट के आधार पर चक 3 वीं तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 20 नहरी/राजस्व (पत्थर न. 158/103) में कोई उद्यान विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं है। अतः प्रतिवदेन प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 3 वीं तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 20 नहरी/राजस्व खाता संख्या 39 की 1.581 हेक्टैयर बाग एंव खाता संख्या 37 की 4.616 हेक्टैयर बाग को विलोपित किया जाकर जमाबन्दी में किस्म परिवर्तन/ नहरी कृषि भूमि दर्ज किया जाना उचित है। अतः वाद वादीगण, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, रिपोर्ट अधिशाषी अभियंता जल संसाधन उत्तरखण्ड श्रीगंगानगर, वादीगण के शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

**-:आदेश:-**

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 3 वीं, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि. धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 39/39 के मुरब्बा नम्बर 20 की कुल 1.581 हेक्टैयर भूमि तथा राजस्व ग्राम 3 वीं, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 37/37 के मुरब्बा नम्बर 20 की कुल 4.616 हेक्टैयर भूमि, दोनो खातो की कुल 6.197 हेक्टैयर बाग भूमि को नहरी भूमि अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातो के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल [illegible] नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार [illegible] हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.03.14 12:00:18 IST
Reason: SelfAttested

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 24.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

# अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

**अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर**
**ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र** (आर.ए.एस.)

निर्मल कौर आदि बनाम राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए मुकदमा नम्बर **33/2023**

**निर्णय दिनांक :- 24.02.2023**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 3 वीं, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि. धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 39/39 के मुरब्बा नम्बर 20 की कुल 1.581 हेक्टैयर भूमि तथा राजस्व ग्राम 3 वीं, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 37/37 के मुरब्बा नम्बर 20 की कुल 4.616 हेक्टैयर भूमि, दोनो खातो की कुल 6.197 हेक्टैयर बाग भूमि को नहरी भूमि अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातो के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 24.02.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

| मुददई | रूपया | पैसा | मुदायली | रूपया | पैसा |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अरजीदावा | 02 | 00 | स्टाम्प वकालतनामा | 00 | 00 |
| स्टाम्प वकालतनामा | 00 | 00 | स्टाम्प अरजी | 00 | -- |
| स्टाम्प ड्यूटी | 00 | 00 | मेहनताना वकील पर | 00 | -- |
| **योग** | 02 | **00** | **योग** | **00** | **00** |

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

क्रमांकः रीडर/ 2023/108 दिनांक:24.02.2023

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.03.14 12:00:18 IST
Reason: SelfAttested